

[FORM 1

(See rule 3)

NOTICE OF ELECTION

Notice is hereby given that:—

(1) an election is to be held of a member to the House of the People/.....Legislative
Assembly/.....Legislative Council in the.....constituency;

OR

(1) an election is to be held of a member(s) to the Council of States/.....legislative Council/.....by
the elected members of the..... Legislative Assembly;

(2) nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposers to the Returning
Officer or to Assistant Returning Officer,
at..... between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than public holiday) not later than
the

(3) forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid;

(4) the nomination papers will be taken up for scrutiny aton.....at.....
.....;

(5) notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his proposers or by
his election agent who has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified
in paragraph (2) above at his office before 3 P.M. on the.....;

(6) in the event of the election being contested, the poll will be taken onbetween the hours
of..... and.....

Place.....
Date.....

Returning Officer.]

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 321(E), dated the 1st May, 1996.

¹[प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

निर्वाचन की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि---

(1)निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा/.....विधान सभा/.....
...../विधान परिषद् के सदस्य का निर्वाचन होना है,

अथवा

(1).....विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा/.....विधान
परिषद्.....के सदस्य (सदस्यों) का निर्वाचन होना है।

(2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या.....सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या (उसके
किसी प्रस्थापक द्वारा)से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे
पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीचमें परिदत्त किए जा सकेंगे,

(3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,

(4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए.....में.....को..... बजे लिए
जाएंगे,

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके
निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो ऊपर
पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय मेंको 3 बजे अपराह्न के पूर्व
परिदत्त की जा सकेगी,

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में को बजे
..... और बजे के बीच मतदान होगा।

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर,]]